



भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ उन्नीसवां सत्र
(22 फरवरी से 7 मई, 2010 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ उन्नीसवां सत्र
(22 फरवरी से 7 मई, 2010 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

वेबसाईट: <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल: rsqns@sansad.nic.in

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ उन्नीसवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें दस विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-IX में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नजर में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली
21अगस्त, 2010
30 श्रावण, 1932 (शक)

विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव।

	विषय-सूची	पृष्ठ
I	प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या	1
II	सत्र प्रारंभ होने का संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं.....	2-3
II.क	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	4
III	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है	5-8
IV	उन विषयों को दर्शानेवाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए	9-10
V	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण.....	11
VI	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	12-13
VII	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	14-15
VIII	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सारांश.....	16
IX	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	17-20
X	राज्य सभा में प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निर्देशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण.....	21-22

विवरण।

प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या

वर्ग I

कोयला; कारपोरेट कार्य; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; पर्यावरण और वन; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; सूचना और प्रसारण; विधि और न्याय; खान; अल्पसंख्यक कार्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; विद्युत; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; जनजातीय कार्य; महिला एवं बाल विकास। 2116

वर्ग II

नागर विमानन; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; भारी उद्योग और लोक उद्यम; पंचायती राज; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; ग्रामीण विकास; पोत परिवहन। 3009

वर्ग III

वाणिज्य और उद्योग; रक्षा; गृह; श्रम और रोजगार; सड़क परिवहन और राजमार्ग; वस्त्र। 2458

वर्ग IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; संस्कृति; पृथ्वी विज्ञान; विदेश; आवास और शहरी गरीबी उपशमन; प्रवासी भारतीय कार्य; संसदीय कार्य; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; पर्यटन; शहरी विकास; जल संसाधन; युवक कार्यक्रम और खेल। 2687

वर्ग V

कृषि; रसायन और उर्वरक; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; रेल; इस्पात। 2666

योग 12936

विवरण - II

सत्र प्रारंभ होने का संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1	23.02.2010	192	82	274	38
2.	24.02.2010	185	64	249	46
3.	25.02.2010	204	69	273	52
4.	02.03.2010*	248	73	321	68
5.	03.03.2010	306	90	396	95
6.	04.03.2010	300	91	391	62
7.	05.03.2010	360	126	486	92
8.	08.03.2010	308	107	415	88
9.	09.03.2010	317	101	418	69
10.	10.03.2010	373	84	457	88
11.	11.03.2010	313	94	407	73
12.	12.03.2010	385	120	505	104
13.	15.03.2010	335	93	428	75
14.	16.03.2010	333	97	430	82
15.	15.04.2010	357	116	473	72

1	2	3	4	5	6
16.	16.04.2010	384	125	509	98
17.	19.04.2010	380	139	519	89
18.	20.04.2010	499	165	664	113
19.	21.04.2010	400	132	532	94
20.	22.04.2010	286	108	394	61
21.	23.04.2010	306	117	423	63
22.	26.04.2010	285	105	390	67
23.	27.04.2010	325	125	450	86
24.	28.04.2010	263	126	389	80
25.	29.04.2010	266	114	380	59
26.	30.04.2010	205	96	301	58
27.	03.05.2010	111	253	364	65
28.	04.05.2010	336	116	452	72
29.	05.05.2010	292	143	435	82
30.	06.05.2010	258	111	369	59
31.	07.05.2010	311	131	442	93
Total		9565	3371	12936	2343

*बैलक रद्द कर दी गई।

विवरण-II "क"

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	9565	616	-	1049	3833	2	4	4
अतारांकित	3371	4752+	815++	311	1533	-	-	17
योग	12936	5368	815	1360	5366	2	4	21

+ इसमें 3477 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकृत किया गया।

++ इसमें 580 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनायें सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के एक रूप में एक से अधिक नामों से स्वीकृत किया गया।

विवरण-III
प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/ विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत तारांकित	अतारांकित	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	सदस्यों को लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधान मंत्री	76(4)	-	4(0)	1(0)	8(1)	63(3)	-	-	-	-
2.	कृषि	605(106)	18(2)	179(11)	44(19)	15(2)	347(72)	1(0)	-	1(0)	15
3.	परमाणु ऊर्जा	110(32)	9(5)	50(11)	12(7)	13(5)	25(4)	-	-	1(0)	14
4.	रसायन और उर्वरक	151(33)	10(3)	59(15)	13(7)	5(2)	64(6)	-	-	-	30
5.	नागर विमानन	414(64)	17(1)	136(29)	18(5)	72(11)	171(18)	-	-	-	15
6.	कोयला	178(31)	5(1)	78(17)	16(2)	14(3)	64(8)	-	-	1(0)	1
7.	वाणिज्य और उद्योग	394(50)	14(1)	155(20)	32(12)	31(3)	162(14)	-	-	-	-
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	469(47)	22(3)	182(17)	31(6)	45(0)	186(21)	-	2(0)	1(0)	28
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	411(86)	27(5)	157(13)	46(18)	7(2)	173(47)	-	-	1(1)	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कारपोरेट कार्य	74(2)	4(0)	26(1)	7(1)	3(0)	34(0)	-	-	-	-
11.	संस्कृति	96(7)	5(0)	41(3)	1(1)	14(1)	35(2)	-	-	-	5
12.	रक्षा	326(72)	17(1)	101(18)	15(3)	70(15)	122(35)	-	-	1(0)	-
13.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	33(1)	2(0)	6(0)	-	5(0)	20(1)	-	-	-	-
14.	पृथ्वी विज्ञान	21(2)	1(0)	9(1)	1(0)	-	10(1)	-	-	-	-
15.	पर्यावरण और वन	504(79)	29(6)	190(21)	52(8)	44(7)	189(37)	-	-	-	11
16.	विदेश	400(84)	21(7)	137(9)	31(10)	98(20)	113(38)	-	-	-	21
17.	वित्त	821(126)	32(5)	282(41)	45(14)	86(35)	374(31)	-	2(0)	-	10
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	87(12)	5(1)	29(5)	5(4)	3(0)	45(2)	-	-	-	5
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	734(165)	39(11)	293(62)	42(27)	64(27)	296(38)	-	-	-	13
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	53(5)	2(1)	15(2)	0(0)	7(1)	29(1)	-	-	-	-
21.	गृह	981(244)	50(9)	302(67)	50(17)	181(51)	396(100)	-	-	2(0)	14
22.	आवास और शहर गरीबी उपशमन	90(8)	3(0)	45(3)	10(0)	3(1)	29(4)	-	-	-	5
23.	मानव संसाधन विकास	753(165)	28(9)	265(63)	52(17)	40(12)	367(64)	1(0)	-	-	24
24.	सूचना और प्रसारण	152(19)	4(0)	64(13)	9(4)	9(1)	66(1)	-	-	-	-
25.	श्रम और रोजगार	301(39)	15(5)	128(16)	11(2)	12(1)	135(15)	-	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	विधि और न्याय	229(41)	8(2)	63(11)	8(0)	78(4)	72(24)	-	-	-	5
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	82(8)	4(0)	30(6)	2(0)	3(0)	43(2)	-	-	-	5
28.	खान	81(8)	3(0)	26(6)	2(1)	11(1)	39(0)	-	-	-	-
29.	अल्पसंख्यक कार्य	82(12)	5(1)	20(4)	-	23(0)	31(7)	-	-	3(0)	-
30.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	70(8)	4(0)	35(6)	6(2)	2(0)	23(0)	-	-	-	5
31.	प्रवासी भारतीय कार्य	89(22)	5(0)	47(11)	12(6)	4(1)	21(4)	-	-	-	5
32.	पंचायती राज	67(13)	5(0)	16(4)	4(1)	10(3)	32(5)	-	-	-	1
33.	संसदीय कार्य	11(6)	-	2(1)	-	6(2)	3(3)	-	-	-	-
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	96(13)	3(3)	54(5)	6(1)	10(2)	23(2)	-	-	-	-
35.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	393(71)	19(2)	157(32)	30(11)	40(6)	147(20)	-	-	-	1
36.	योजना	224(61)	13(4)	91(28)	21(16)	14(0)	85(13)	-	-	-	-
37.	विद्युत	336(101)	18(7)	122(24)	37(12)	56(18)	103(40)	-	-	-	11
38.	रेल	575(96)	28(6)	217(42)	21(5)	29(11)	278(31)	-	-	2(1)	35
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	337(69)	15(3)	157(22)	22(9)	23(7)	118(28)	-	-	2(0)	3
40.	ग्रामीण विकास	398(73)	20(3)	154(25)	27(8)	37(8)	160(29)	-	-	-	15
41.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	56(5)	1(0)	25(3)	3(1)	2(0)	24(1)	-	-	1(0)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	पोत परिवहन	129(11)	6(0)	32(5)	3(2)	18(2)	70(2)	-	-	-	20
43.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	153(23)	9(3)	61(7)	3(2)	15(4)	65(7)	-	-	-	-
44.	अंतरिक्ष	18(3)	1(0)	12(3)	-	1(0)	4(0)	-	-	-	-
45.	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन	32(10)	1(0)	6(2)	4(0)	7(0)	14(8)	-	-	-	-
46.	इस्पात	89(14)	5(2)	19(4)	3(3)	5(1)	57(4)	-	-	-	3
47.	वस्त्र	119(11)	8(1)	46(7)	8(1)	10(0)	46(2)	-	-	1(0)	10
48.	पर्यटन	118(8)	7(0)	59(5)	3(1)	10(1)	39(1)	-	-	-	-
49.	जनजातीय कार्य	81(18)	4(1)	37(7)	3(1)	7(0)	29(9)	-	-	1(0)	5
50.	शहरी विकास	273(32)	13(4)	114(11)	11(0)	30(9)	102(8)	-	-	3(0)	12
51.	जल संसाधन	247(46)	19(3)	92(19)	14(5)	21(0)	101(19)	-	-	-	12
52.	महिला एवं बाल विकास	177(42)	7(1)	69(13)	11(1)	27(16)	63(11)	-	-	-	-
53.	युवक कार्यक्रम और खेल	140(35)	6(0)	56(13)	7(4)	12(4)	59(14)	-	-	-	3
योग		12936(2343)	616(122)	4752(784)	815(277)	1360(301)	5366(857)	2(0)	4(0)	21(2)	393

विवरण - IV

उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गृहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	कृषि उत्पादन	3	29	-
2.	नागर विमानन	विमानपत्तियों का आधुनिकीकरण	2	21	13
3.	वाणिज्य और उद्योग	आयात/निर्यात	5	28	-
		विशेष आर्थिक क्षेत्र	1	22	-
4.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	टेलीफोन	5	12	3
5.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	4	21	-
		मूल्य वृद्धि	3	20	-
6.	पर्यावरण और वन	जलवायु परिवर्तन	4	14	3
		प्रदूषण	5	14	-

7.	विदेश	चीन	3	15	8
8.	वित्त	बैंको का कार्यक्रम	7	39	
		आय कर	2	22	-
		मुद्रा स्फीति/मूल्यवृद्धि	5	16	-
		बीमा क्षेत्र	5	14	5
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	6	27	-
		स्वाइन फ्लू	2	15	-
10.	गृह	तटीय सुरक्षा	3	14	-
		घुसपैठ	2	17	5
		प्राकृतिक आपदा	2	13	-
		नक्सलवाद	5	53	-
		अर्धसैनिक बल	3	20	
		आतंकवाद	2	22	-
11.	मानव संसाधन विकास	विदेशी विश्व विद्यालयों का प्रवेश	1	16	
12.	श्रम और रोजगार	बाल श्रम	2	15	-
13.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	एलपीजी	5	18	-

14.	विद्युत	विद्युत परियोजनाएं	4	28	-
15.	रेल	रेल परियोजनाएं	5	37	3
16.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	7	49	5
17.	ग्रामीण विकास	नरेगा	4	20	10
18.	शहरी विकास	जेएनएमयूआरएम	3	24	5

विवरण-V

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 536 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना अनुभाग और दीर्घा को भेज दी गई थी ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन विवरणों में से प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए दीर्घा में काउन्टर पर रख दी गई थी।

विवरण - VI
अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान चले गए पथभ्रमित युवकों को राजक्षमा	सरदार तरलोचन सिंह	गृह	अस्वीकृत	-
2.	कोलकाता में ईएफआर कैम्प पर माओवादियों का हमला	श्री एन. के. सिंह	गृह	स्वीकृत (03.03.2010)	-
3.	उर्वरकों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाया जाना	श्री एन. के. सिंह	रसायन और उर्वरक	अस्वीकृत	-
4.	बैंकों को सीवीसी के दिशानिर्देश	श्री कमाल अख्तर	वित्त	व्यपगत	-
5.	काबुल में दूतावास पर हमला	श्री एन. के. सिंह	विदेश	अस्वीकृत	-
6.	दांतेवाड़ा में नक्सली हमला	श्री बृजेश पाठक	गृह	अस्वीकृत	-
7.	आपरेष ग्रीन हंट	श्री बृजेश पाठक	गृह	अस्वीकृत	-
8.	आरटीवी संचालकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	श्री मोहम्मद अदीब	गृह	अस्वीकृत	-
9.	ठोस अपशिष्ट संयंत्र पर विवाद	श्री कमाल अख्तर	शहरी विकास	व्यपगत	-
10.	सीजीएचएस के यूनानी औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-

1	2	3	4	5	6
11.	रही में रेडियोधर्मी सामग्री मिलना	श्री राजीव प्रताप रूडी	परमाणु ऊर्जा	व्यपगत	-
12.	स्थावर सम्पदा कंपनियों द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन	श्री कमाल अख्तर	वित्त	अस्वीकृत	-
13.	संवेदनशील सूचना लीक करने पर महिला राजनायिक की गिरफ्तारी	श्री एन. के. सिंह	विदेश	अस्वीकृत	-
14.	चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति	श्री एच. के. दुआ	विदेश	अस्वीकृत	-
15.	देश में विद्युत की स्थिति	श्री साबिर अली	विद्युत	व्यपगत	-
16.	विद्युत में पारेषण और वितरण घाटे	श्री साबिर अली	विद्युत	व्यपगत	-
17.	विद्युत में पारेषण एवं वितरण घाटे	श्री मोहम्मद अदीब	विद्युत	व्यपगत	-
18.	देश में विद्युत की स्थिति	श्री मोहम्मद अदीब	विद्युत	व्यपगत	-
19.	सीजीएचएस द्वारा यूनानी दवाओं की खरीद	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
20.	सीजीएचएस द्वारा यूनानी दवाओं की खरीद	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-

विवरण-VII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

ढायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	चर्चा में लेने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी निर्धारण हेतु प्रणाली	श्री राजीव प्रताप रूडी	प्रधानमंत्री	अस्वीकृत	-
2.	विदेशी विश्वविद्यालय केन्द्रों में शिक्षा की गुणवत्ता	श्री जेसुदासु सीलम	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
3.	श्रमिकों का प्रव्रजन	श्री संतोष बागड़ोदिया	श्रम और रोजगार	चर्चा की गई	*
4.	श्रमिकों का प्रव्रजन	श्री राजीव प्रताप रूडी	श्रम और रोजगार	चर्चा की गई	*
5.	पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी	श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक	गृह	अस्वीकृत	-
6.	पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी	श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला	गृह	अस्वीकृत	-
7.	श्रमिकों का प्रव्रजन	डा.ई.एम. सुदर्शन नाचवीयप्पन	श्रम और रोजगार	चर्चा की गई	*
8.	श्रमिकों का प्रव्रजन	श्री रामचन्द्र खूँटिआ	श्रम और रोजगार	चर्चा की गई	*
9.	सड़क निर्माण की औसत लागत में वृद्धि	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	सड़क परिवहन और राजमार्ग	व्यपगत	-

*आधे घंटे की एक चर्चा के रूप में 28 अप्रैल, 2010 को चर्चा की गई। जिन चार सदस्यों ने इस पर सूचना दी थी उन्होंने इसमें भाग लिया।

1	2	3	4	5	
10.	सड़क निर्माण की औसत लागत में वृद्धि	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	सड़क परिवहन और राजमार्ग	व्यपगत	-
11.	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट	श्री राम दास अग्रवाल	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
12.	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट	श्री राजीव प्रताप रूडी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
13.	परमाणु दायित्व विधेयक	श्री संतोष बागड़ोदिया	प्रधान मंत्री	अस्वीकृत	-
14.	साथ मिलकर काम करने हेतु चीन के राष्ट्रपति का आग्रह	श्री संतोष बागड़ोदिया	विदेश	अस्वीकृत	-
15.	वकीलों में से जजों का चयन	डा. बान प्रकाश पिलानिया	विधि और न्याय	अस्वीकृत	-
16.	विश्वविद्यालयों में छात्र संघों का चुनाव	श्री कमाल अख्तर	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
17.	परमाणु दायित्व विधेयक	श्री कमाल अख्तर	प्रधानमंत्री	व्यपगत	-
18.	परमाणु दायित्व विधेयक	श्री प्रभात झा	प्रधान मंत्री	व्यपगत	-
19.	नवोदय और केन्द्रीय विधालय	श्री वी. हनुमंत राव	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
20.	नवोदय और केन्द्रीय विधालय	श्री मोइनुल हसन	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
21.	नवोदय और केन्द्रीय विधालय	श्री संतोष बागड़ोदिया	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
22.	कच्ची चीनी का आयात	श्री प्रकाश जावडेकर	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकृत	-
23.	नवोदय और केन्द्रीय विधालय	डा. के. केशव राव	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
24.	नवोदय और केन्द्रीय विधालय	श्री एम. वी. मैसूरा रेड्डी	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-

विवरण-VIII

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
			शून्य		

विवरण-IX

राज्य सभा में पूछे गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय रखा गया था.....	31
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था.....	1(25-02-2010)
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	शून्य
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया.....	8 (23.2.2010 24.2.2010 03.03.2010 08.03.2010 09.03.2010 21.04.2010 26.04.2010 और 03.05.2010)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या.....	1 (02.03.2010)
6.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या.....	2343
7.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुई.....	153
8.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम.....	14 (श्री एन. के. सिंह)
9.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये.....	99
10.	उन प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये.....	97
11.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या.....	393
12.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये.....	5269
13.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं.....	781 (श्री मोहम्मद अली खान द्वारा)
14.	किसी एक सदस्य द्वारा पूछे गए सर्वाधिक अनुपूरक प्रश्न.....	12 (श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा)
15.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	3 (श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 2.03.2010 और 22.04.2010 को एवं श्री आर. सी. सिंह द्वारा 30.04.2010 को)

16.	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 20 से कम प्रश्न थे.....	शून्य
17.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या.....	119 (24_2_2010 को)
18.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए.....	7 (30.04.2010 को)
19.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए.....	1 (16.04.2010 को)
20.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	961
21.	किसी एक विषय पर उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया हो.....	3 (एमजीएनआरईजीए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रत्येक पर)
22.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	5
23.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	981 (गृह मंत्री को)
24.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित/गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	352 (गृह मंत्री को)
25.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	7 (रसायन और उर्वरक मंत्री और रेल मंत्री द्वारा)
26.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	35 (रेल मंत्री द्वारा)
27.	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया.....	शून्य
28.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या.....	417.29
29.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	3.3
30.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या (केवल उन बैठकों के लिए जब प्रश्न काल हुआ	4.71
31.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	13.1
32.	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या.....	3.97

33.	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय.....	17.58 मिनट
34.	प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या.....	536
35.	किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या.....	20 (16.04.2010, 23.04.2010, 30.04.2010 और 07.05.2010 प्रत्येक दिन)
36.	सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण	20 पृष्ठ (तारंकित प्रश्न संख्या 363)
37.	राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए विवरणों/दिए गए वक्तव्यों की कुल संख्या	शून्य

विवरण - X

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/उपसभापति द्वारा की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेश/निर्णय	तारीख	की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेश/ निर्णय
1	2	3	4
1.	माननीय सभापति	15.3.2010	तारांकित प्रश्न सं. 245 के अनुपूरक प्रश्नों के दौरान, प्रश्नकर्ता श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य और श्रीमती वृंदा कारत, संसद सदस्यों ने प्रश्न के उत्तर में सूचना हेतु मंत्रालय को वेबसाइट का संदर्भ देने पर आपत्ति जताई। मंत्री ने अपेक्षित सूचना की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करने की पेशकश की। श्री एस.एस. अहलुवालिया ने भी 15.3.2010 को अपने पत्र द्वारा इस प्रथा पर माननीय सभापति को आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय से सभी मंत्रालयों/विभागों से यह कहने का अनुरोध किया गया कि वे माननीय सभापति के आदेशों के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर में वेबसाइटों का संदर्भ न दें।"
2.	माननीय सभापति	29.04.2010	तारांकित प्रश्न सं. 484 के संबंध में मूल प्रश्नकर्ता के अलावा, तीन सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के पश्चात् श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य आमेर किला के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने को खड़े हो गए। श्री सीताराम येचुरी के वक्तव्य के बाद, माननीय सभापति ने टिप्पणी की, "आपने एक टिप्पणी की है। इसे अभिलिखित किया जाएगा। परन्तु यह एक अनुपूरक प्रश्न नहीं है।" यहाँ सभापीठ द्वारा मूल प्रश्नकर्ता के अलावा तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने के नियम का पालन किया गया।
3.	माननीय सभापति	08.12.2009	तारांकित प्रश्न सं. 269 के उत्तर दौरान, दूसरे प्रश्नकर्ता श्री मोइनुल हसन, को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। जिस समय यह प्रश्न लिया गया था तब पहला प्रश्नकर्ता, श्री श्यामल चक्रवर्ती उपस्थित नहीं थे। श्री हसन द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के बाद, श्री चक्रवर्ती आ गए और उन्हें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

4.	माननीय सभापति	08.12.2009	माननीय सभापति ने सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने पर श्री रुद्रनारायण पाणि को चेतावनी दी। सभापीठ ने सदस्य का ध्यान उन पर राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियमों के नियम 255 को लागू करने की संभावना की ओर सदस्य का ध्यान दिलाया। सभापति की टिप्पणी उस तारीख के संसदीय समाचार भाग-II में प्रकाशित की गई।
5.	माननीय सभापति	09.12.2010	प्रो. सैफुद्दीन सोज़ को तारांकित प्रश्न संख्या 284 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न देते हुए, सभापति ने व्यवस्था की कि: "विषय के संबंध में ही अनुपूरक प्रश्न पूछें। मैं नहीं समझता कि विषय से परे जाने की प्रथा विशेष रूप से सहायक होती है। मुझे डर है कि मुझे इसे विषयेत्तर घोषित करना होगा क्योंकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।" मुख्य प्रश्न महाराष्ट्र में "राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु निधियां" से संबंधित था जबकि अनुपूरक प्रश्न जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा था।